आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बी0एल0डी0आर0–वाद संख्या–184 / 22
संजू देवी
बनाम्
बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
08.05.2023	यह बी0एल0डी0आर0 अपील वाद संजू देवी, पति–गोपाल पासवान ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया, पूर्वी चमपारण द्वारा अपने बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–04 / 2022–23 में दिनांक–23.06.2022 को पारित आदेश से असंतुस्ट होकर दायर किया गया है। विवादित भूमि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मौजा–लौकहाँ, थाना–चकिया, के अतर्गत खाता संख्या–08, खेसरा संख्या–13 एवं 14 में अवस्थित है तथा कुल विवादित रकवा 4 (चार) धूर है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सूना। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय में गसबन के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया। विवादित भूमि अपीलार्थी के पति–गोपाल पासवान ने निबंधित केवाला खतियानी रैयत बैधनाथ सिंह, पिता–स्व0 शिवबालक सिंह से किया गया। खाता संख्या–08, खेसरा संख्या–13 में से 2 (दो) धूर एवं खेसरा संख्या–14 में से 2 (दो) धूर कुल रकवा 4 (चार) धूर पर विपक्षी द्वारा नाजायज रूप से गसबन कर लिया गया। अपीलार्थी के श्वसुर बुझावन पासवान के सहमति से विपक्षी के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पिता–मोहन पासवान एवं अपीलार्थी के पति–गोपाल पासवान के बिच आधा–आधा बंटबारा हुआ। विपक्षी द्वारा 2 (दो) धूर भूमि गसबन कर चापाकल खाता संख्या–08, खेसरा संख्या 14 पर हला दिया एवं खाता संख्या–08, खेसरा संख्या–13 के भूमि में से 2 (दो) धूर भूमि अवैध गसबन कर लिया। इस तरह नाजायज रूप से कब्जा किए जाने पर अपीलार्थी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चकिया के समक्ष भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–04/2022–23 दायर किया ताकि विवादित भूमि का सीमांकन कराकर गसबन से विवादित भूमि को मुक्त कराया जा सके। परन्तु निम्न न्यायालय ने प्रश्नगत मामले को स्वत्व एवं हकियत का मानते हुए खारिज कर दिया है जो गलत है।

सरकार की ओर से उपस्थित सरकारी विद्वान अधिवक्ता ने बताया की प्रश्नगत मामला बंटवारा /हकियत से संबंधित है जिसका निराकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं विपक्षी एक हीं पूर्वज के वंशज हैं जिन्होंने संयुक्त रूप से दिनांक–20.05.2008 एवं दिनांक–10.06.2017 को केवाला कराया और आपस में आपसी सहमति से जमीन बंटवारा किया। जिस आधार पर अपीलकर्ता द्वारा अनुतोष की मांग की जा रही है। परन्तु बंटवारा से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य न तो इस न्यायालय में और न ही निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दाखिल किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि किसको कितना भूमि हिस्सा में प्राप्त हुआ है एवं उसकी चौहद्दी क्या है ताकि प्रश्नगत भूमि का सीमांकण/गसबन कराया जा सके। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद को बंटवारा से संबंधित

WEB COPY NOT OFFICIAL

पाते हुए अपने–अपने हकियत के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निदेश दिया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के नियम 4 (3) *''सक्षम प्राधिकार को आवंटी/बंदोबस्तधारी या किसी रैयत के किन्ही नए अधिकरों, जो अब तक निर्धारित नहीं हुए हैं तथा जिन्हे अनुसूची–1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक होता है, का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा।''* एवं (5) स्पष्ट रुप से अंकित है कि *''जहाँ कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष दायर वाद में स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, वह कार्यवाही बंद कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।''*

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अधिग्रहण के बिन्दु पर ही अस्वीकृत करते हुए अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL